डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2001—चैत्र 30, शक 1923

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-2/सह./15.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित सोसाइटियों के बारे में रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारियों के नाम (2)	सोसाइटियों के नाम (3)
1.	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, जो कि वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (लघु वन उपज) छत्तीसगढ़ भी है.	(क) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज (व्यापार तथा विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (ख) जिला वन उपज सहकारी संघ, और (ग) प्राथमिक वन उपज सहकारी सोसाइटी.

(1)	(2)	(3)
2.	समस्त प्रबंध संचालक, जिला वन उपज सहकारी संघ, छत्तीसगढ़	(क) प्राथमिक वन उपज सहकारी सोसाइटी, (ख) जिला वन उपज सहकारी संघ.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2001

क्रमांक एफ-7-2/सह./15/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 384 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-2/सह./15/2001 दिनांक 20 अप्रैल, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, अपर सचिव.

Raipur, the 20th April 2001

NOTIFICATION

No. F-7-2/Co./15/2001.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section (3) of the Madhya Pradesh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) the State Government, hereby, appoints the officers, mentioned in column (2) of the schedule below to assist the Registrar in respect of the societies mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Officers (2)	Name of the Societies (3)
1.	The Executive Director,Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited, Raipur, who is also the Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests (Minor Forest Produce) in the forest Department, Chhattisgarh.	(A) Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited, Raipur. (B) District Forest Produce Co-operative Union, and (C) Primary Forest Produce Co-operative Society,
2.	All Managing Directors; District Forest Produce Co-operative Unions, Chhattisgarh.	(A) Primary Forest Produce Co-operative Society, (B) District Forest Produce Co-operative Union.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. H. BEHAR, Additional Secretary.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2001

अधिसूचना

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 58 तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 में उल्लिखित शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को छोड़कर, केवल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कार्यकारी संचालक जो कि वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (लघु वन उपज) छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर, जिला वन उपज सहकारी संघों तथा प्राथमिक वन उपज सहकारी सोसाइटियों के बारे में छत्तीसगढ़ राज्य में रजिस्ट्रार को उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करें तथा कर्त्तव्यों का पालन करें जो कि उन्हें उपरोक्त अधिनियम तथा उक्त नियम के अधीन समनुदेशित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, अपर सचिव.

Raipur, the 20th April, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by under sub-section (2) of section (3) of the Madhya Pradesh Co-operative Society Act ,1960 (No. 17 of 1961) the State Government, hereby, directs that only the Executive Director of the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited, who is also the Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests (Minor Forest Produce) in the Forest Department, Chhattisgarh shall exercise all the powers and perform all the duties of the Registrar in Chhattisgarh State, which are assigned to him under the above mentioned Act, in respect of the Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trade and Development) Co-operative Federation Limited, Raipur, District Forest Produce Co-operative Unions and Primary Forest Produce Co-operative societies except those duties which are mentioned under section 58 of the said Act and under rule 50 of the Madhya pradesh Co-operative Society Rule 1962.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. H. BEHAR, Additional Secretary.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2001

अधिसूचना

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि जिला वन उपज सहकारी संघ की अधिकारिता के भीतर प्राथमिक वन उपज सहकारी संस्था तथा जिला वन उपज सहकारी संघ के बारे में केवल जिला वन उपज सहकारी संघ का प्रबंध संचालक, उक्त अधिनियम की धारा 58 तथा 78 और मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 के अधीन उल्लिखित रजिस्ट्रार की उन समस्त शक्तियों को छोड़कर, रजिस्ट्रार की उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करें तथा कर्त्तव्यों का पालन करें जो कि उन्हें मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) में समनुदेशित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, अपर सचिव.

Raipur, the 20th April, 2001

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Society Act. 1960 (No. 17 of 1961) the State Government, hereby, directs that the Managing Director of the District Forest Produce Co-operative Union only shall exercise all the powers and perform all the duties of Registrar, which are assigned to him under the Madhya Pradesh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) except the duties mentioned under section 58. 78 and rule 50 of the Madhya Pradesh Co-operative Society Rule, 1962 in respect of the Primary Forest Produce Co-operative Society and District Forest Produce Co-operative Union within the jurisdiction of the District Union.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. H. BEHAR, Additional Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.